



e-ISSN:2582 - 7219



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 5, Issue 1, January 2022



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 5.928



9710 583 466



9710 583 466



ijmrset@gmail.com



www.ijmrset.com

भारतीय लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में मीडिया की बढ़ती भूमिका

Dr. Gulab Bai Meena

Associate Professor in Political Science, BSR Arts College, Alwar, Rajasthan, India

सार

भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का राजनीतिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। एक वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। समाचार और विचारों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यमों के लिए इन दिनों मीडिया शब्द कठोर हो गया है। मीडिया को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय मीडिया ने वर्तमान युग में अखबार और रेडियो से लेकर टेलीविजन और सोशल मीडिया के दिनों तक एक लंबा सफर तय किया है। 1990 के दशक में मीडिया घरानों में निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से प्रभावित हुआ था, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट घरानों, व्यवसायों, राजनीतिक कुलीनों और उद्योगपतियों ने इसे अपनी ब्रांड छवि को सुधारने के लिए एक सुविधा के रूप में इस्तेमाल किया है। भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता तेजी से मिट रही है, क्योंकि राष्ट्र के मीडिया द्वारा समय-समय पर विश्व दर्शकों द्वारा सनसनी फैलाने वाली खबर की आलोचना की जाती है। भारतीय मीडिया जिस तरह से खबरों का इस्तेमाल करता है और जिस तरह से जानकारी घुमाता है। इसलिए मीडिया का स्तर लगातार गिर रहा है; लोगों का उस पर भरोसा घट रहा है और लोकतंत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के परीक्षण पर उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। वर्तमान युवाओं को दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में अधिक रुचि है। इस प्रकार, मीडिया के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीआरपी चैनलों को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित की जा रही सूचना को पक्षपाती या हेरफेर न किया जाए।

लोकतंत्र को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 18वीं शताब्दी के बाद से, विशेष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के समय से, मीडिया जनता तक पहुंचने और ज्ञान के साथ उन्हें सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज पर नजर रखने के लिए मीडिया को "चौथे स्तंभ" के रूप में जाना जाता है, जैसा कि स्वतन्त्र मीडिया लोकतंत्र प्रणाली के बिना इसके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकती। भारत के औपनिवेशिक नागरिकों के लिए मीडिया, जानकारी का एक स्रोत बन गई है, क्योंकि वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की निरंकुशता के बारे में जागरूक हो गए हैं। इस तरह, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई शक्ति प्रदान की गई, क्योंकि लाखों भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में नेताओं के रूप में शामिल हुए। वर्ष 1975 में आपातकाल के समय प्रेस सेंसरशिप के दिनों से लेकर 2014 के लोकसभा चुनावों तक भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका में प्रभावशाली रूप से बदलाव आया है।

परिचय

एक वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। समाचार और विचारों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यमों के लिए इन दिनों मीडिया शब्द कठोर हो गया है। मीडिया को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोग विधायिका और कार्यपालिका की खुलकर आलोचना करते हैं। न्यायपालिका की आलोचना करते हुए शब्द के उपयोग को सतर्क किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मानहानि के मुकदमे से डरता है। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के नेता, प्रशासनिक अधिकारी या उद्योगपति जो परीक्षण के अधीन हैं, वे हमेशा कहते हैं कि उन्हें भारत के



न्यायालय में विश्वास है। हालांकि, जब अदालत द्वारा विपरीत निर्णय लिया जाता है, तो उसके दिमाग के स्पष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता है। लेकिन हर कोई अक्सर मीडिया की आलोचना से बचता है, जैसे कि यह एक धार्मिक पुस्तक है जिसकी आलोचना तूफान लाएगी। इसलिए मीडिया का स्तर लगातार गिर रहा है; लोगों का उस पर भरोसा घट रहा है और लोकतंत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के परीक्षण पर उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है।¹

मीडिया ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 18 वीं शताब्दी के बाद से, विशेष रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के समय से, मीडिया जनता तक पहुंचने और उन्हें ज्ञान के साथ सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज की निगरानी के लिए मीडिया को “चौथे स्तंभ” के रूप में जाना जाता है, क्योंकि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र प्रणाली के बिना अपना अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता है। मीडिया भारत के औपनिवेशिक नागरिकों के लिए सूचना का एक स्रोत बन गया है क्योंकि वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की निरंकुशता से अवगत हो गए हैं। इस तरह, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई शक्ति दी गई, क्योंकि लाखों भारतीय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में नेताओं के रूप में शामिल हुए। 1975 में 2014 के लोकसभा चुनावों में आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप के दिनों से भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका में व्यापक रूप से परिवर्तन देखा गया है।²

मीडिया लोकतंत्र की “चैथी संपत्ति” है और यह न्याय और सरकार की नीतियों के लाभ को समाज के आंतरिक वर्गों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे सरकार और देश के नागरिकों के बीच एक श्रृंखला के रूप में कार्य करते हैं, लोगों को मीडिया पर विश्वास है क्योंकि यह दर्शकों पर भी प्रभाव डालता है। भारतीय राजनीति की बदलती गतिशीलता ने मीडिया से लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं क्योंकि परिवर्तन का यह चरण व्यक्तिगत धारणा के साथ विश्वास करना बहुत आसान हो गया है। देश की पुरानी पीढ़ी अभी भी परंपरा और संस्कृति के आधार पर चीजों को तय करती है, जबकि वर्तमान युवाओं को दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में रुचि है। इस प्रकार, मीडिया के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीआरपी चैनलों को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित की जा रही सूचना को पक्षपाती या हेरफेर न किया जाए।

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यह निम्नलिखित अपरिहार्य भूमिकाओं का निर्वहन करता है।³

यह लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें।

बहस, चर्चा और मतदान के माध्यम से मीडिया सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है।

यह लोगों को लोकतंत्र के बारे में शिक्षित करता है और साथ ही जनता की राय और सुझावों के माध्यम से लोकतांत्रिक मांगों का निर्माण करके सार्वजनिक नीति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

यह मानव अधिकारों के उल्लंघन, सत्ता का दुरुपयोग, न्याय वितरण में कमियां, लोकतांत्रिक संस्थानों में भ्रष्टाचार आदि का खुलासा करता है।

मीडिया अखिल भारतीय महत्व के मुद्दों को उठाकर एकता और भाईचारा बनाने में मदद करता है और देश में मौजूद विविधता को भी रेखांकित करता है।

भारतीय मीडिया बेहद जीवंत रहा है और जब भी लोकतंत्र को निरंकुश प्रवृत्ति (जैसे राष्ट्रीय आपातकाल) से खतरा हुआ है, उसने इन प्रवृत्तियों के खिलाफ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।⁴

भारतीय मीडिया ने अखबार तथा रेडियो के दिनों से लेकर वर्तमान युग में टेलीविजन और सोशल मीडिया तक एक लंबा सफर तय किया है। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से मीडिया हाउसों पर निवेश का असर पड़ा, क्योंकि कॉर्पोरेट के बड़े घरानों, व्यापार जगत, राजनीतिक अभिजात वर्ग और उद्योगपतियों ने अपनी ब्रांड छवि को बेहतर बनाने के लिए इसे एक सुविधा के रूप में प्रयोग किया है। समाचार चैनल इस समय शोबिजनेस में शामिल थे, जिस तरह टीआरपी समाचार हाउस के बीच प्रतिद्वंद्विता का कारण बन गया। समाचार जिसे लोग मुद्दों के बारे में जानकारी लेने के लिए पढ़ते थे, जो समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और वह अब पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का स्रोत बन गया है। मीडिया की भूमिका समाज को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से अवगत कराने और लोकतंत्र के तीन संस्थानों से विरोध करने के लिए है। जब सरकारी संस्थान भ्रष्ट और सत्तावादी हो जाते हैं या जब वे समाज से संबंधित मुद्दों की ओर अपनी नजर डालते हैं, तब मीडिया लाखों नागरिकों की आवाज के साथ मिलकर आवाज उठाती है। आज के भारत में, मीडिया विभिन्न राजनीतिक संगठनों और व्यापार समूहों के लिए



मुखपत्र बन गया है, वे इस तरह के प्रभावशाली आंकड़ों के लिए अमानुएन्सिस (लिपिकार) के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय ऐसे संगठनों के समर्थन पर निर्भर करता है।⁵

विचार-विमर्श

भारत में समाचार प्रकाशन का इतिहास मुद्रण के आविष्कार से शुरू होता है। अंग्रेजी काल के होने के कारण, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का उद्देश्य उस समय की स्वतंत्रता को जगाना था। यही कारण है कि उस समय सैकड़ों पत्रकारों ने काम किया, जिससे जीवन और जेल का जोखिम उठा। कुछ पत्र खुले तौर पर छपे थे, कुछ गुप्त रूप से। कई पत्र विदेशों में छपे और भारत के साथ-साथ कई देशों में वितरित किए गए। उनका रूप कभी-कभी एक से दो पृष्ठों की शीट के समान होता था। जिसे भी ये चिट्ठियां मिलीं, उस पर मुकदमा चला और फिर वह कई साल जेल में रहा। तब भी वे छापते और वितरित करते थे। लोकप्रियता के कारण लोग उनका इंतजार करते थे। हालाँकि अभी भी चिकने थे। फिर भी स्वतंत्रता-पूर्व मीडिया प्रणाली के अधिकांश लोग सार्वजनिक सुरक्षा के परीक्षण से मिले थे। 1947 के बाद, देश के वातावरण में क्षरण ने मीडिया को भी प्रभावित किया। नेहरू स्वभाव से अंग्रेजी और कुलीन थे। उन्हें भारतीय भाषाओं से नफरत थी। अंग्रेजों ने अंग्रेजी के पत्रों को राष्ट्रीय (छाँजपवादन) और भारतीय-भाषा के पत्रों को भाषाई (तमातबांदसंत) कहा। नेहरू ने उसी नीति का पालन किया। इसलिए, सरकारी विज्ञापनों को ऐसे पत्र मिलने लगे। इसलिए, अंग्रेजी पत्र बहुत विकसित हुए। दुर्भाग्य से आज भी वही स्थिति बनी हुई है। 80 प्रतिशत सरकारी विज्ञापन केवल अंग्रेजी पत्रों द्वारा प्राप्त होते हैं। लेकिन जहां तक जमीनी खबरों की बात है, उनकी अनुपस्थिति अक्सर अंग्रेजी पत्रों में देखी जाती है। यह बात आज भी 1947 की तरह ही सच है। अपने गाँव और जिले की खबरों के लिए, लोग केवल अपनी भाषा में आने वाले पत्रों पर निर्भर करते हैं। यद्यपि बौद्धिक और सरकारी प्रशासन के क्षेत्र में शिक्षित होने के कारण अंग्रेजी के पत्रों का अधिक प्रभाव है; लेकिन प्रसार के मामले में वे भारतीय कागजों से बहुत पीछे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी पत्र भारत के शिक्षित, संपन्न और संपन्न वर्ग की मानसिक भूख को शांत कर सकता है; लेकिन जनपक्ष भारतीय अक्षरों द्वारा ही पूरा होता है। 26 जून, 1975 को, इंदिरा गांधी ने देश में तानाशाही लागू की और नियंत्रण के लिए सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को बंद कर दिया। कई पत्रों ने अपनी शैली में इसका विरोध किया;⁶ लेकिन यह विरोध लंबे समय तक नहीं चला। यह शर्म की बात है कि कई पत्रों के संपादकों, जिन्हें बड़ा कहा जाता है, ने जुलूस निकाला और इसका समर्थन किया। उस समय के दौरान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने गुप्त रूप से 500 से 1,000 संचलन संख्याओं वाले सैकड़ों पत्र प्रकाशित किए। ये पत्र अंगारा, सौगंध, स्वतंत्रता३ आदि नामों के तहत एक शहर या जिले तक सीमित थे। ये एक हाथ से बने साइक्लोस्टाइल मशीन पर मुद्रित होते थे, जबकि कुछ साहसी प्रेस मालिकों ने रात में बड़ी मशीनों पर भी छाप दी। उस समय भी, जनपक्ष इन स्थानीय पत्रों द्वारा ही पूरा होता था, तथाकथित बड़े पत्रों द्वारा नहीं। आपातकाल हटाए जाने के बाद, पत्रों ने स्वतंत्र स्वतंत्रता प्राप्त की। तब एक कांग्रेसी नेता ने कहा कि हमने उन्हें सिर्फ झुकने के लिए कहा था, लेकिन वे लेट गए और पूजा करने लगे। बड़े पत्रों की इस स्पिनलेसनेस का कारण यह था कि सभी बड़े पत्र पूंजीपति वर्ग के थे, और पूंजीपति कभी भी सरकार का विरोध नहीं कर सकते। कल की स्थिति आज भी वैसी ही थी। बड़े कहे जाने वाले अंग्रेजी या भारतीय पत्रों के मालिक अभी भी बड़े व्यापारी हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कुछ और है। पत्र उनके व्यवसाय के लिए मीडिया शील्ड प्रदान करते हैं।⁷

मीडिया पूरी तरह से बाजार के चंगुल में है, इसे वर्तमान पत्रों की भाषा से समझा जा सकता है। अस्सी के दशक में जब राजीव गांधी और उनकी दून मण्डली सत्ता में आई, तो देश में अंग्रेजी प्रभुत्व बढ़ने लगा। धीरे-धीरे हिंदी माध्यम के स्कूलों ने भी अपने बोर्ड बदल दिए और उन पर अंग्रेजी माध्यम लिख दिया। आज उस बात को 25 साल हो गए हैं और एक ऐसी पीढ़ी अस्तित्व में आई है, जो न तो ठीक से हिंदी जानती है और न ही अंग्रेजी। हिंदी अंकावली लगभग पूरी तरह से गायब हो गई है।



इस पीढ़ी तक पहुंचने के लिए, कई हिंदी पत्रों ने अपनी भाषा में जबरन अंग्रेजी शब्दों और रोमन लिपि में घुसपैठ की है। कई पत्रों ने अंग्रेजी में शीर्षक रखना शुरू कर दिया है। एक समय था जब लोग इन पत्रों के माध्यम से अपनी भाषा में सुधार करते थे; लेकिन अब वही मीडिया भाषा को खराब करने की कोशिश कर रहा है। दूरदर्शन के समाचारों और नीचे दिए गए पाठ में हिंदी के दुरुपयोग को देखकर, उसके मन में एक इच्छा जागी। यह स्पष्ट है कि मीडिया का उद्देश्य केवल इस समय पैसा कमाना है।

लेखकों और साहित्यकारों को पत्रिकाओं से एक पहचान मिलती है। पहले कई पत्रों में नए और युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई; लेकिन अब ज्यादातर पत्र किसी न किसी गुट से बंधे हैं। वे केवल उस समूह के लेखकों को रखते हैं। विरोध या तटस्थ लेखकों की रचनाएँ अच्छी होने पर भी फेंक दी जाती हैं। यहां तक कि उन्हें जवाब भी नहीं दिया जाता। कई पत्र अंग्रेजी लेखकों की अनुवाद सेवा में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखने वाले कम नहीं हैं; लेकिन जब उद्देश्य केवल पैसा है, तो हम उस पर कैसे ध्यान दे सकते हैं?

उनके दृष्टिकोण के अलावा, इस मानसिकता के कारण संस्थानों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। 27 फरवरी को, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक लाख लोग बाबा रामदेव और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुनने आए। न केवल सरकारी दूरदर्शन ने इसकी रिपोर्ट की, बल्कि दिल्ली के अधिकांश पत्रों ने इसे दूसरे-तीसरे पृष्ठ पर भी स्थान दिया। यह एक उदाहरण है कि कैसे लालची मीडिया विज्ञापन से उरता है।⁸

इस बाजारवाद ने पेड न्यूज का चलन बढ़ा दिया है। चुनाव के समय यह प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। 100 लोगों की एक सभा को एक विशाल सभा के रूप में वर्णित करना और एक विशाल सभा की खबर को गायब करना इस दुर्भावना का हिस्सा है। दुर्भाग्य से, केवल वे ही अखबार इस प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, जिनके मालिकों के पास अकूत संपत्ति है। उनके लापरवाह छोटे अक्षर भी इसकी नकल कर रहे हैं। हालांकि कुछ पत्रकारों और संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, जो एक अच्छा संकेत है।

मीडिया में समाचार और राय दो अलग-अलग धारणाएं हैं। यदि कोई रिपोर्टर या संपादक किसी समाचार के पक्ष या विपक्ष में विचार देना चाहता है, तो उसके लिए संपादकीय पृष्ठ का उपयोग किया जाता है। कुछ पत्र इस नीति का पालन करते हैं; लेकिन ज्यादातर में इसकी कमी है। रिपोर्टर अपने विचारों के अनुसार समाचार को ट्विस्ट करता है। इससे पत्र की विश्वसनीयता कम हो जाती है। जब समाज में नीचे की ओर रुझान होता है, तो मीडिया पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। शासन अखबारों को पूरा विज्ञापन देता है। इस लालच में हजारों रजिस्टर्ड कागजात केवल सौ प्रतियाँ छापकर खुद को जीवित रखते हैं। यह उस पार्टी की नीति है जिसके शासन की प्रशंसा की जानी है, और विज्ञापन देना है। पति संपादक, पत्नी प्रबंधक, पुत्र मुख्य संवाददाता और बेटी विज्ञापन प्रबंधक। इस तरह के पत्र मीडिया की प्रतिष्ठा को नीचा दिखाते हैं; लेकिन कोई सख्त कानून नहीं होने के कारण ऐसे दलाल लगातार बढ़ रहे हैं। ये पत्र लोकतंत्र और सार्वजनिक प्रवचन दोनों के लिए हानिकारक हैं।⁹

नए मीडिया की एक नई लहर भी इन दिनों गति पकड़ रही है। बड़ी संख्या में लेखक और पत्रकार BLOG लिख रहे हैं। यह अपने विचारों को फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। इसलिए, सभी समाचार पत्र उन्हें जगह दे रहे हैं; लेकिन एक ओर, नियंत्रण न होने के कारण, जहाँ इसकी विश्वसनीयता संदेह के दायरे में है, भाषा की गरिमा का उल्लंघन भी अत्यधिक हो रहा है। चूंकि यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इसका भविष्य क्या होगा।

इंटरनेट और मोबाइल मेल ने ट्विटर और फेसबुक को एक मजबूत सामाजिक मंच बना दिया है जहां लोग अपने विचार साझा कर सकते हैं। यह एक दोधारी तलवार है, जो दूसरों से टकराती है। भारत में पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर और क्रिकेट व्यापारी ललित मोदी को ट्विटर पर की गई टिप्पणियों के कारण पद छोड़ना पड़ा। मीडिया एक निरंतर बहने वाली संस्था है। इसने कई बार अपना रंग और रूप बदला है। एक समय था जब उत्तर से दक्षिण तक की खबरें पहुंचने में छह महीने लगते थे; लेकिन आज छह सेकंड में यह शब्द पूरी दुनिया में फैल गया। इस उछाल के कारण, लोकतंत्र और जन जागरूकता के प्रति इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है; लेकिन इसे ठीक से

पूरा नहीं किया जा रहा है। अपराधी केवल मीडिया प्रणाली नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज और राजनीतिक वातावरण है।

चुनावों में हर बार लाखों नए मतदाता बनते हैं। नया होने के नाते, उनका प्रशिक्षण आवश्यक है। युवा पीढ़ी नई और सोच वाली है। इसलिए मीडिया इस क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह नए लोगों को जाति, क्षेत्र, भाषा और प्रांत की राजनीति से मुक्त करने और वंशवादी, भ्रष्ट और अपराधिक उम्मीदवारों का विरोध करने के लिए प्रेरित कर सकता है; लेकिन अक्सर मीडिया इस बारे में चुप रहता है। कहीं विज्ञापन उनके मुंह बंद कर देते हैं, कहीं उम्मीदवार के डर से परिणामस्वरूप, वह भी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के जाति और धार्मिक समीकरणों को ध्यान में रखकर अपना कर्तव्य पूरा करता है। यह आम अच्छे के बजाय जाति और धार्मिक राजनीति को मजबूत करता है। यही वजह है कि 60 साल के होने के बाद भी भारतीय लोकतंत्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है।¹⁰

किसी भी वस्तु के निर्माण में कच्चे माल और मशीनों की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। यह मीडिया की स्थिति है। इस समाज से पत्रकार भी आ रहे हैं। वे भौतिकता की प्रतिस्पर्धा और राजनीति की चमक से भी प्रभावित हैं। उन्हें अपने परिवार के लिए कार, घर, मनोरंजन और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अन्य सुविधाओं की भी आवश्यकता है। खाली पेट साइकिल पर चलना अब पत्रकारिता नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में वे मिट जाएंगे। हाल ही में राडिया - राजा प्रकरण से यह पता चला कि पत्रकार जगत के कितने बड़े लोग कीचड़ में फंसे हैं।

जिस तरह से समाज में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और स्वीकार्य हो गया है वह आश्चर्यजनक है। राजनीति काली थी; लेकिन अब सेना और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की कहानियां भी खुल रही हैं। ऐसे में किसी को मीडियाकर्मियों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यद्यपि मीडिया द्वारा न्यायपालिका और सेना के भ्रष्टाचार को भी उजागर किया गया है। इसलिए, उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया भी समाज का एक हिस्सा है। समाज और उसके नेताओं को लोकतंत्र और लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरने से पहले खुद को परखना होगा। भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, पैसे कमाने की मशीन बनाने वाली अनैतिक शिक्षा और ईमानदार पत्रकारों के लिए अनुशासनहीन समाज की खोज निरर्थक है। भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता तेजी से नष्ट हो रही है, क्योंकि सनसनीखेज खबरें फैलाने के लिए विश्व दर्शकों द्वारा समय-समय पर देश की मीडिया की आलोचना की गई है। भारतीय मीडिया जिस तरह से खबरों का इस्तेमाल करती है और जिस तरह से जानकारियों को घुमा फिरा कर दिखाती है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक) में देश को तीन पायदान नीचे खिसका दिया है। जैसा कि हाल ही में हुई श्रीदेवी की मृत्यु के कुछ उदाहरण सामने आए हैं, जहाँ पत्रकार झूठे आरोप लगाकर न्यायाधीश (न्याय करने वाले) बन गए और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत पर विवाद खड़े कर दिए। दूसरी तरफ, भारतीय मीडिया ने कारगिल युद्ध (1999) और 26/11 के बॉम्बे (मुम्बई) आतंकवादी हमलों के कवरेज में एक साहसिक भूमिका निभाई, क्योंकि शहर में हुए कई आतंकवादी हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। निश्चित रूप से, राजनीतिक दलों के बढ़ते प्रभाव की वजह से दर्शकों तक पहुंचने वाली खबरों की गुणवत्ता में कमी आई है क्योंकि मीडिया ने सरकार के काम को बढ़ावा देने हेतु पार्टियों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया था। भारत जैसे एक जीवंत लोकतंत्र में एक स्वतंत्र और नियंत्रण-मुक्त प्रेस की आवश्यकता वास्तव में जरूरी है। जब से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान निर्धारण करने की शुरुआत की, तब भारत सरकार के दृष्टिकोण पर मीडिया की भूमिका पर गर्मजोशी से बहस हुई। संविधान निर्धारण के दौरान, भारत में मीडिया की स्थिति को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत एक लेख या प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, जैसा कि अमेरिकी संविधान का मामला था, में एक अलग प्रावधान करने की आवश्यकता थी। मसौदा (संविधान प्रारूप) समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने महसूस किया कि स्वतंत्र प्रेस के लिए अलग प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उन्होंने तर्क दिया कि "प्रेस केवल एक व्यक्ति या नागरिक के बारे में वर्णन करने का एक अन्य तरीका है", इस प्रकार प्रेस का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बन गया। रिपोर्टर्स विड बॉर्डर द्वारा प्रकाशित हाल ही के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, देश में पत्रकार के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के लिए भारत को 180 देशों में 136वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत की रैंकिंग में गिरावट राष्ट्रीय मीडिया से "राष्ट्रविरोधी" अभिव्यक्ति विचारों को खारिज करने की कोशिश में बढ़ रहे 'हिंदू राष्ट्रवादियों' से जुड़ी हुई है, जो लोकतंत्र में मीडिया को एक नकारात्मक भूमिका के रूप में प्रदर्शित करता है।¹¹

भारत जैसे विविधता वाले देश में, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर विस्तृत विधान होना मुश्किल है, जैसा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा बताया गया था। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) एक सरकारी निकाय है जिसने दर्शकों के बीच जानकारी



प्रसारित करने के लिए मीडिया हाउसों द्वारा अनुपालन करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। दिशा-निर्देश निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के साथ जनता को विश्वसनीय समाचार सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

परिणाम

भारतीय मीडिया ने वर्तमान युग में अखबार और रेडियो से लेकर टेलीविजन और सोशल मीडिया के दिनों तक एक लंबा सफर तय किया है। 1990 के दशक में मीडिया घरानों में निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से प्रभावित हुआ था, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट घरानों, व्यवसायों, राजनीतिक कुलीनों और उद्योगपतियों ने इसे अपनी ब्रांड छवि को सुधारने के लिए एक सुविधा के रूप में इस्तेमाल किया है। समाचार चैनल वर्तमान में शो व्यवसाय में शामिल थे, जिसके कारण टीआरपी समाचार घरों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। समाचार जो लोग मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ते थे, जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और अब पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का स्रोत बन गया है। मीडिया की भूमिका समाज को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र की तीन संस्थाओं के खिलाफ विरोध करना है। जब सरकारी संस्थान भ्रष्ट और निरंकुश हो जाते हैं या जब वे समाज से जुड़े मुद्दों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, तो मीडिया लाखों नागरिकों की आवाज के साथ मिलकर आवाज उठाता है। आज के भारत में, विभिन्न राजनीतिक संगठनों और व्यावसायिक समूहों के लिए मीडिया मुख्य पत्र बन गया। वे इस तरह के प्रभावशाली आंकड़ों के लिए लिपिकार के रूप में कार्य करते रहे हैं, क्योंकि उनका व्यापार ऐसे संगठनों के समर्थन पर सुचारू रूप से चलता है।¹²

भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता तेजी से मिट रही है, क्योंकि राष्ट्र के मीडिया द्वारा समय-समय पर विश्व दर्शकों द्वारा सनसनी फैलाने वाली खबर की आलोचना की जाती है। जिस तरह से भारतीय मीडिया खबरों का इस्तेमाल करता है और जिस तरह से वह सूचनाओं को घुमाता है, दूसरी ओर, भारतीय मीडिया ने कारगिल युद्ध (1999) और 26/11 बॉम्बे (मुंबई) आतंकवादी हमलों के कवरेज में एक साहसिक भूमिका निभाई है। खेला गया, क्योंकि शहर में कई आतंकवादी हमलों ने पूरे देश को हिला दिया था। निश्चित रूप से, राजनीतिक दलों के बढ़ते प्रभाव के कारण दर्शकों तक पहुँचने वाली खबरों की गुणवत्ता में कमी आई है क्योंकि मीडिया ने सरकार के काम को बढ़ावा देने के लिए पार्टियों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

भारतीय मीडिया में फर्जी खबरों की समस्या मौजूद है, जिसके कारण लोग गलत सूचना प्राप्त करते हैं और बड़े पैमाने पर अफवाह और भ्रम फैलाते हैं।

कभी-कभी यह गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग में भी लिप्त हो जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील जानकारी लीक कर देता है। उदाहरण के लिए, मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के मामले में, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करना और कभी-कभी भीड़ की भावनाओं को भड़काकर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करना।

मीडिया उच्च टीआरपी प्रतिযোগिता में सनसनीखेज समाचार दिखाता है जो सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित समाचारों के महत्व को कम करता है।

मीडिया में पेड न्यूज की भी समस्या है जो लोगों को भ्रमित करती है।

भारत में बढ़ते मीडिया ट्रायल की घटनाओं ने न्याय का उपहास उड़ाया है।

भारत में मीडिया की विविधता और गुणवत्ता मीडिया समावेश और लाभ-संचालित हितों जैसी समस्याओं से प्रभावित हो रही है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, भारत में मीडिया को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करना समय की आवश्यकता है।

पेड न्यूज को मोटे तौर पर कानून द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए और इस संबंध में दंडात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टर्फ युद्ध से बचने के लिए, उनके पास एक एकल नियामक होना चाहिए।

भारतीय प्रेस परिषद को कानून द्वारा दंडात्मक शक्तियाँ दी जानी चाहिए।



समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण जैसे स्व-नियामक निकायों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। पत्रकारों पर हमलों के मामलों में तेजी लाई जानी चाहिए।¹³

निष्कर्ष

भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में, स्वतंत्र और नियंत्रण मुक्त प्रेस की आवश्यकता वास्तव में आवश्यक है। जब से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान का निर्माण शुरू किया है, तब से मीडिया की भूमिका भारत सरकार के दृष्टिकोण पर गर्म हो गई है। संविधान निर्धारण के दौरान, भारत में मीडिया की स्थिति या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत एक अलग लेख या प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में एक भ्रम था, जैसा कि अमेरिकी संविधान के मामले में था। प्रावधान करने की जरूरत थी। मसौदा (संविधान मसौदा) समिति के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर ने महसूस किया कि स्वतंत्र प्रेस के लिए अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तर्क दिया कि “प्रेस किसी व्यक्ति या नागरिक का वर्णन करने का एक और तरीका है।” “इस प्रकार प्रेस का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बन गया। हाल ही में रिपोर्टर्स द्वारा बॉर्डर्स के साथ प्रकाशित वूड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से भारत को 136 वाँ स्थान दिया गया था। देश में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता का स्तर। भारत की रैंकिंग में गिरावट बढ़ती 'हिंदू राष्ट्रवादियों' से जुड़ी है, जो राष्ट्रीय मीडिया के “राष्ट्र-विरोधी” विचारों को खारिज करने की कोशिश कर रही है, जो मीडिया को एक नकारात्मक भूमिका के रूप में दर्शाता है। जनतंत्र।

भारत जैसे विविधता वाले देश में, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर विस्तृत कानून होना मुश्किल है, जैसा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने बताया था। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) एक सरकारी निकाय है जिसने दर्शकों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए मीडिया हाउसों द्वारा पालन किए जाने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। दिशानिर्देश निष्पक्षता और निष्पक्षता के साथ जनता के लिए विश्वसनीय समाचार सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।¹⁴

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो सकता है, लेकिन नियमन के बिना यह भारत में लोकतंत्र के लिए अपमानजनक भी हो सकता है। इसे संवैधानिक सीमाओं और नियमों के भीतर उचित स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। मीडिया भी समाज का एक हिस्सा है। समाज और उसके नेताओं को लोकतंत्र और लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरने से पहले खुद को परखना होगा। ईमानदार पत्रकारों की खोज एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, अनैतिक शिक्षा जो पैसा बनाने की मशीन और एक अनुशासनहीन समाज है, से निरर्थक है। वर्तमान युवाओं को दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में अधिक रुचि है। इस प्रकार, मीडिया के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीआरपी चैनलों को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित की जा रही सूचना को पक्षपाती या हेरफेर न किया जाए।

मीडिया लोकतंत्र की “चौथी संपत्ति” है और यह समाज के आंतरिक वर्गों तक अपनी पहुँच से सरकारी नीतियों के न्याय और लाभ सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे सरकार और देश के नागरिकों के बीच एक श्रृंखला के रूप में कार्य करते हैं, लोगों को मीडिया पर विश्वास होता है क्योंकि इसका दर्शकों पर भी प्रभाव पड़ता है। भारतीय राजनीति की बदलती गतिशीलता ने परिवर्तन के इस चरण के रूप में मीडिया से लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, एक व्यक्तिगत धारणा के साथ इस पर विश्वास करना काफी आसान हो गया है। देश की पुरानी पीढ़ी अभी भी परंपरा और संस्कृति के आधार पर चीजों को तय करती है, जबकि वर्तमान युवाओं को विश्व में तेजी से बढ़ रहे प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में अधिक रुचि रखते हैं। इस प्रकार, मीडिया के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीआरपी चैनलों को बढ़ावा देने के लिए जो सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, उनमें पक्षपात या छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए।¹⁴

संदर्भ

1. अंसारी एमए / महिला और मानव अधिकार
2. पांडे डॉ. जयनारायण / भारत का संविधान
3. नवभारत टाइम्स अखबार, 2013
4. रोजगार एजेंसी 2014
5. विजय कुमार, निदेशक, विश्व संवाद केंद्र, सुदर्शन कुंज, सुमन नगर, धर्मपुर, देहरादून।



6. प्रभासक्षी न्यूज नेटवर्क, 2014
7. प्रारूप और शिल्प, डॉ. मनोहर प्रभाकर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली.
8. समाचार पत्र प्रबंधन, गुलाब कोठारी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली.
9. राज्य सरकार और जनसंपर्क, कालीदत्त झा, रघुनाथ प्रसाद तिवारी, डॉ. महेंद्र मधुप, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. संवाद समिति, काशीनाथ गोविंदराव जोगलेकर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली की पत्रकारिता।
11. पत्रकारिता: मिशन से मीडिया तक, अखिलेश मिश्रा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली.
12. सूचना प्रौद्योगिकी और समाचार पत्र, रवींद्र शुक्ल, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली.
13. दैनिक भास्कर अखबार, जयपुर संस्करण, 25 दिसंबर 2013
14. राजस्थान पत्रिका, गुलाब चंद कोठारी, संपादकीय लेख, 11 नवंबर 2013



INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor:
5.928

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH IN SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY



9710 583 466



9710 583 466



ijmrset@gmail.com

www.ijmrset.com